2019/00252

निर्णय ब इजलास जगरूप सिंह यादव आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 145/2019 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. साझेदारी फर्म मैसर्स पिंकसिटी एग्रो इण्डस्ट्रीज जरिये सोमकरण सैनी पुत्र श्री गोविन्दनारायण सैनी हाल निवासी नन्दपुरी मालवीय नगर, जयपुर ।
2. साझेदारी फर्म मैसर्स पिंकसिटी एग्रो इण्डस्ट्रीज जरिये अनिल सोलंकी पुत्र श्री सोहन लाल सोलंकी जाति क्षत्रिय निवासी प्लाट नं॰ 132–133 केशव विहार, गोपालपुरा, जयपुर।
3. साझेदारी फर्म मैसर्स पिंकसिटी एग्रो इण्डस्ट्रीज जरिये दूल्हेराम मीणा पुत्र श्री रामस्वरूप मीणा जाति मीणा निवासी प्लाट नम्बर 17, दुर्गाविहार, मालवीय नगर, जयपुर ।

प्रार्थीगण

बनाम

1. सहायक कलक्टर आमेर मु॰ जयपुर पीठासीन अधिकारी सुश्री जूही भार्गव
2. ट्रस्ट मन्दिर श्री सीताराम जी दयाल जी माता जी ग्राम सवाई गेटौर जरिये सचिव गोपाल खाडू, निवासी ग्राम सवाई गेटोर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर ।
3. श्रीमती अनिता सिंह कुल्हरी पत्नी श्री जगदीश चन्द्र कुलहरी निवासी डी–666, मालवीय नगर, जयपुर ।
4. खेमचन्द मान पुत्र श्री घासीराम मान जाति जाट निवासी ग्राम पोस्ट कुल्हरियों का ढाणी वाया बिसाऊ जिला झुन्झुनू हाल निवासी डी–666, मालवीय नगर, जयपुर ।
5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर जिला जयपुर ।

अप्रार्थीगण

जिला कलक्टर जयपुर जिला, जयपुर

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर आमेर मु॰ जयपुर के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 204/2012 ब उनवानी ट्रस्ट मन्दिर श्री सीताराम बनाम आत्माराम वगैरह को अन्यत्र स्थानान्तरण किये जाने।

उपस्थितः–

1. श्री विजय कुमार शर्मा अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।
2. श्री गुलाब चन्द मीणा अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से ।

निर्णय दिनांक 31-10-2019

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय उप खण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय के समक्ष अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा एक दावा घोषणा व स्थाई निषेधाज्ञा एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा हेतु उक्त उनवानी वाद प्रस्तुत किया गया था। बाद में सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय का गठन होने के पश्चात सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय में स्थानान्तरित किया गया । उक्त वाद

जिला कलक्टर
जयपुर

में अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 5966 /2012 प्रस्तुत की जिस पर राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा प्रकरण को अप्रार्थी संख्या 1 सहायक कलक्टर आमेर के न्यायालय वाद का निस्तारण यथा सम्भव दो माह में करने के निर्देशों के साथ स्थानान्तरित किया गया है। उपरोक्त प्रकरण दिनांक 21.09.2005 को दर्ज रजिस्टर किया गया। इतने समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी उक्त प्रकरण का अन्तिम निस्तारण नहीं किया गया है। अप्रार्थी संख्या 2 का मकसद मात्र प्रकरण को लम्बित रखने का है। अधीनस्थ न्यायालय भी उक्त कार्यवाही मे अप्रार्थी संख्या 2 की सहायता कर रही है जिससे प्रार्थीगण को अधीनस्थ न्यायालय से न्याय की उम्मीद नहीं है। ऐसा कथन अंकित कर उक्त उनवानी प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का अनुरोध किया है।

2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। सहायक कलक्टर आमेर से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री गुलाबचन्द मीणा ने वकालतनामा पेश किया है।

3. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

4. प्रार्थीगण द्वारा सहायक कलक्टर आमेर के समक्ष लम्बित प्रकरण के विरूद्व मुन्तिकल प्रार्थना पत्र पेश किया है। जबकि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 05.09.2012 से उक्त पत्रावली सहायक कलक्टर जयपुर द्वितीय के न्यायालय से सहायक कलक्टर आमेर को स्थानान्तरित करते हुये यथा सम्भव दो माह में प्रकरण का निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये हुये है। इसलिए इस न्यायालय द्वारा उक्त पत्रावली को किसी अन्य न्यायालय में स्थानानरित किया जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है। फलस्वरूप मुन्तिकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

5. न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर को निर्देशित किया जाता है कि प्रकरण में माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा आपको यथा सम्भव दो माह में प्रकरण का निस्तारण किये जाने के निर्देश दिये गये है। तदनुसार पत्रावली में नजदीकी तारीख पेशिंया दी जा कर कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करे।

6. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्ब कायदा सहायक कलक्टर आमेर को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

7. निर्णय आज दिनांक 31-10-2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

(जुगरूप सिंह यादव)
जिला कलक्टर
जयपुर